

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 29/4/19

**विषय:-** भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना अंतर्गत मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मोतीझील के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार योजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (NRCD) द्वारा विमुक्त द्वितीय की राशि रू0 6.5965 करोड़ के अनुपातिक राज्यांश की राशि 4.397 करोड़ रू0 (चार करोड़ उनचालीस लाख सत्तर हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश :-**स्वीकृत ।

भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मोतीझील के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य योजना के प्रशासनिक स्वीकृति रू0 21.99 करोड़ के अनुमानित व्यय पर Ministry of Environment, Forest & Climate Change, National River Conservation Directorate के पत्रांक-J-16011/7/2003-NRCD-II दिनांक-26.12.2017 द्वारा प्रदान की गयी है। यह योजना 60:40 की है। इस योजना पर 1.30 करोड़ सेंटेज सहित कुल-23.294 करोड़ (तेईस करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) रू0 मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-915 दिनांक-09.04.2018 द्वारा प्राप्त है। केन्द्रांश की वचनवद्ध राशि 13.194 करोड़ रू0 के विरुद्ध पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (NRCD) के पत्रांक-J-16011/07/2003-NRCD-II दिनांक-26.12.2017 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में 6.5965 करोड़ रुपये विमुक्त किए गए हैं। वर्ष 2019-20 में सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त केन्द्रांश की राशि के अनुपातिक राज्यांश की राशि 4.397 करोड़ रू0 (चार करोड़ उनचालीस लाख सत्तर रू0 मात्र) के निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 4.397 करोड़ रू0 (चार करोड़ उनचालीस लाख सत्तर हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 256 दिनांक-26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी तथा RTGS के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को उपलब्ध करा दी जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C विपत्र पर नहीं की जाएगी।

3. राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

4

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि (2) दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. यह राशि शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान है, इसलिए राशि की निकासी BTC के नियम 270 TC फार्म 42 पर किया जाएगा। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (ले० एवं हक), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।
6. स्वीकृत राशि 4.397 करोड़ रू० (चार करोड़ उनचालीस लाख सत्तर हजार रू० मात्र) की निकासी मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष 2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष 051- निर्माण, उप शीर्ष 0305 झीलों का सौंदर्यीकरण विपत्र कोड सं०-48-2217030510305 विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि 6.00 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ ...५१... /टि० पर दिनांक-...२६/५/२०१९...को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ...५०.../टि० पर दिनांक-...२६/५/२०१९...को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*29.4.19*

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/नमामि गंगे-06-03/2018(पार्ट) 06 /न०वि०एवंआ०वि०/ पटना, दिनांक-२९/४/१९  
प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मोतीहारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतीहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतीहारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेब कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*29.4.19*

सरकार के विशेष सचिव।